# बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि0
## (बिहार सरकार का उपक्रम)
## कार्यालय आदेश

पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक पद से सेवानिवृत कर्मियों को संविदा पर नियोजन हेतु दिनांक 10.02.2018 को आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा अनुशंसित की गयी पैनल के आधार पर निम्न सेवानिवृत पुलिस निरीक्षक/पुलिस अवर निरीक्षक का नियोजन Enforcement Officer (प्रवर्तन अधिकारी) के पद पर संविदा के आधार पर सशर्त करते हुए पदस्थापित किया जाता है–

| क्र0 | नाम | पदस्थापित कार्यालय का नाम |
|---|---|---|
| 1. | श्री शमशेर खान | जिला खनन कार्यालय,भोजपुर |
| 2. | श्री जगनारायण तिवारी | जिला खनन कार्यालय,सीवान |
| 3. | मो0 जमील अहमद खान | जिला खनन कार्यालय,कैमूर |

2. संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा तक आवश्यकतानुसार उनके सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरांत की जा सकेगी, परन्तु सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से संविदा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
3. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषप्रद नहीं होगा, तो उन्हें कभी भी हटाया जा सकेगा। जिन रिक्तियों के विरूद्ध संविदा पर नियोजन की जा रही है, उनपर नियमित नियुक्ति होने के बाद इनकी सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. नियोजित कर्मी का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन में पेंशन की राशि घटाने के बाद जो होगी, वही होगी। मासिक मानदेय की यह राशि सेवानिवृत सरकारी सेवक के संविदा अवधि में कार्यरत रहने की तिथि तक स्थिर रहेगी। सेवानिवृति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।
5. संविदा कर्मियों को मानदेय का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा।
6. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मी को छुट्टी की अनुमान्यता नहीं होगी। उन्हें सरकारी सेवकों को अनुमान्य आकस्मिक अवकाश मात्र अनुमान्य होगा।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(आनंद प्रकाश सिन्हा)
महाप्रबंधक
(मानव संसाधन एवं प्रशासन)

ज्ञापांक– 155–.................................पटना, दिनांक ........12/3/18........
प्रतिलिपि :–सभी संबंधित संविदा कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/18
महाप्रबंधक
(मानव संसाधन एवं प्रशासन)